न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास उर्मिला राजोरिया आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 112/2020/अपील/एलआरएक्ट/कैंप कोर्ट–बारां
दायरा दिनांकः 18.09.2020
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. रामदयाल पुत्र केदारलाल
2. रामरतन पुत्र बजरंग लाल
3. प्रेमशंकर पुत्र रामनाथ
4. ओमप्रकाश पुत्र बजरंग लाल
5. रामकुमार पुत्र छीतरलाल

अकवाम मीणा सकनाय हिंगोनिया तहसील मांगरोली, जिला बारां

...अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, बारां जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां
4. राजस्थान सरकार जरिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, हिंगोनिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : बाबूलाल जैन अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 26.07.2024

अपीलार्थी ने जिला कलक्टर बारां द्वारा राजस्थान भू राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालय धर्मशाला तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए एवं अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत ग्राम हिंगोनिया की आराजी खसरा संख्या 7/484 रकबा 0.48 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 खलियान भूमि (नक्शा अनुसार) आदेश क्रमांक एफ.4(5)(206)राजस्व/11/1498–1507 दिनांक 29.02.2012 से उप स्वास्थ्य केन्द्र हिंगोनिया के लिए भवन निर्माण हेतु आवंटित किये जाने से व्यथित होकर प्रार्थना–पत्र धारा 96सीपीसी के साथ अपील पेश करने की इजाजत दिये जाने का अनुरोध करते हुए यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां ने ग्राम हिंगोनिया की आराजी खसरा संख्या 7/484 रकबा 0.48 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 खलियान भूमि राजस्थान भू राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालय धर्मशाला तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए एवं

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत (नक्शा अनुसार) उप स्वास्थ्य केन्द्र हिंगोनिया के लिए भवन निर्माण हेतु आदेश क्रमांक एफ. 4(5)(206)राजस्व/ 11/1498–1507 दिनांक 29.02.2012 से आवंटित की गई। उक्त आदेश दिनांक 29.02.2021 से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया कि ग्राम हिंगोनिया की खसरा नं0 7/484 रकबा 0.48 हैक्टेयर भूमि जो रेस्पो0 क्र 4 को आवंटित की गई है, जो त्रुटि पूर्ण होने से निरस्तनीय है। क्योंकि पूर्व में जिला कलक्टर बारां के आदेश क्रमांक 4(5)(206)राजस्व/ 11/4352 दिनांक 15.03.2011 से उपजिला कलक्टर/तहसीलदार मांगरोल की अनुशंषा पर ग्राम श्यामपुरा की आराजी खसरा संख्या 221 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। उसको निरस्त कर ग्राम हिगोनिया की भूमि उपरोक्त वर्णित भूमि पुनः आवंटित की गई जबकि पूर्व में पत्र क्रमांक 2082 दिनांक 22.11.2021 से 7/484 रकबा 0.48 हैक्टेयर भूमि ही आवंटित की गई थी। बिना किसी आधार के पुनः दिनांक 29.02.2021 को आवंटन करना आवश्यक नहीं था। जबकि समस्त पंचायत, समस्त ग्रामवासी चाहते थे की अस्पताल हेतु भूमि खसरा संख्या 221 ही रहे। दिनांक 27.04.2011 को खसरा संख्या 221 की 0.16 है0 भूमि ग्राम श्यामपुरा पर दखल ले लिया गया था, जिसका दखलनामा पत्रावली मे मौजूद है एवं दिनांक 03.01.2012 के पत्र तहसीलार मांगरोल से भी यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 221 की 0.16 है0 भूमि ही वास्तव में अस्पताल के योग्य है। दिनांक 13.12.2010 को ग्राम पंचायत हिंगोनिया ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि श्यामपुरा रोड़ पर राजीव गांधी सेवा केन्द्र के पास खसरा संख्या 221 कुल रकबा 2.56 है0 में से 0.16 है0 भूमि उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिये आवंटित की जावे और यह उपयुक्त भूमि है एवं दिनांक 13.01.2011 को भी तहसीलदार मांगरोल ने खसरा संख्या 221 की रकबा 0.16 है0 भूमि ही आवंटन के योग्य बताई थी। इसी प्रकार दिनांक 15.03.2011 को भी तहसीलदार मांगरोल ने खसरा संख्या 221 की 0.16 है0 भूमि आवंटन के योग्य बताई तथा जमबाबंदी सम्वत 2065 से 2068 में भी उक्त भूमि उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए आरक्षित की गई तथा जमाबंदी सम्वत 2067 से 2068 में खसरा संख्या 221 की भूमि ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के भवन के लिए दर्ज कर दी गई थी। इंतकाल संख्या 301 दिनांक 03.11.2011 भी उप स्वास्थ्य केन्द्र श्यामपुरा के नाम दर्ज कर दी गई एवं दिनांक 15.03.2011 को भी इसी खसरा संख्या 221 का आदेश जिलार कलक्टर बारां ने कर दिया था। ग्राम पंचायत हिंगोनिया ने भी दिनांक 13.12.2010 को खसरा संख्या 221 की भूमि ही आवंटित करने की सिफारिश की गई थी, जो पूर्ण कोरम में की गई थी। इस प्रकार 7/484 रकबा 0.48 हैक्टे0 भूमि किसी भी तरह भवन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। उक्त भूमि पर अपीलांट के मकान बने हुये है तथा उनमें अपीलांट सपरिवार निवास करते है एवं खाल खद्दर भूमि है, जो उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिये उपयुक्त नहीं है। उक्त आवंटन की जानकारी अपीलांट्स को दिनांक 29.05.2012 को होने पर सिविल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 17.03.2016 को अपीलांट का प्रा.पत्रं ऑर्ड 39 नियम 1 व 2 खारिज करने पर अपीलांट को इस तथ्य की जानकारी होने से दिनांक 29.05.2012 से दिनांक 17.03.2016 तक की अवधि धारा 5 व धारा 14 लिमिटेशन एक्ट के तहत मियाद में जाने जाने का अनुरोध करते हुए प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी के साथ अपील पेश करने की इजाजत देने के साथ अपील स्वीकार करते हुए आवंटन आदेश दिनांक 29.02.2012 को निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

2 प्रस्तुत अपील में प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी पर रेस्पो0 की आपत्ति सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि वादग्रस्त भूमि 7/484 रकबा 0.48 हैक्टे0 किसी भी तरह भवन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। उक्त भूमि पर अपीलांट के मकान बने हुये है तथा उनमें अपीलांट सपरिवार निवास करते है एवं खाल खद्दर भूमि है, जो उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिये उपयुक्त नहीं है। पूर्व में जिला कलक्टर बारां के आदेश क्रमांक 4(5)(206)राजस्व/ 11/4352 दिनांक 15.03.2011 से उपजिला कलक्टर/तहसीलदार मांगरोल की अनुशंषा पर ग्राम श्यामपुरा की आराजी खसरा संख्या 221 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। उसको निरस्त कर ग्राम हिगोनिया की भूमि उपरोक्त वर्णित भूमि पुनः आवंटित की गई जबकि पूर्व में पत्र क्रमांक 2082 दिनांक 22.11.2021 से 7/484 रकबा 0.48 हैक्टेयर भूमि ही आवंटित की गई थी। बिना किसी आधार के पुनः दिनांक 29.02.2021 को आवंटन करना आवश्यक नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 29.02.2012 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

4 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में अपीलांट के उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए जाहिर किया कि अपीलधीन आदेश न्यायिक आदेश न होकर प्रशासनिक आदेश है। प्रशासनिक आदेश अपील योग्य न होकर पुनरीक्षण योग्य होने से न्यायालय हाजा में अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।

5 हमने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा पारित आलौच्य जेर अपील आदेश का अवलोकन कर बहस उभय पक्षकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां ने ग्राम हिंगोनिया की आराजी खसरा संख्या 7/484 रकबा 0.48 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 खलियान भूमि राजस्थान भू राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालय धर्मशाला तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए एवं अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत (नक्शा अनुसार) उप स्वास्थ्य केन्द्र हिंगोनिया के लिए भवन निर्माण हेतु आदेश क्रमांक एफ. 4(5)(206)राजस्व/ 11/1498–1507 दिनांक 29.02.2012 से आवंटित किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 96सीपीसी के साथ अपील पेश करने की इजाजत दिये जाने का अनुरोध करते हुए अपील पेश करने में हुई देरी को डिले कन्डोन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के साथ अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिन्दु का खण्डन नहीं करने से अपील मियाद के बिन्दु को डिले कन्डोन करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 96सीपीसी के साथ अपील पेश करने की इजाजत दिये जाने का अनुरोध करने पर अपीलांट को प्रभावित पक्षकार एवं क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर सुना गया।

6 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि 7/484 रकबा 0.48 हैक्टे0 किसी भी तरह भवन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। उक्त भूमि पर अपीलांट के मकान बने हुये है तथा उनमें अपीलांट सपरिवार निवास करते है एवं खाल खद्दर भूमि है, जो उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिये उपयुक्त नहीं है।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

पूर्व में जिला कलक्टर बारां के आदेश क्रमांक 4(5)(206)राजस्व/11/4352 दिनांक 15.03.2011 से उपजिला कलक्टर/तहसीलदार मांगरोल की अनुशंषा पर ग्राम श्यामपुरा की आराजी खसरा संख्या 221 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। उसको निरस्त कर ग्राम हिगोनिया की भूमि उपरोक्त वर्णित भूमि पुनः आवंटित की गई जबकि पूर्व में पत्र क्रमांक 2082 दिनांक 22.11.2021 से 7/484 रकबा 0.48 हैक्टेयर भूमि ही आवंटित की गई थी। बिना किसी आधार के पुनः दिनांक 29.02.2021 को आवंटन करना आवश्यक नहीं होना बताया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुए जाहिर किया की आक्षेपित आदेश राजस्थान भू राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत ग्राम हिंगोनिया की आराजी खसरा संख्या 7/484 रकबा 0.48 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 खलियान भूमि राजस्थान भू राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालय धर्मशाला तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए एवं अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत (नक्शा अनुसार) उप स्वास्थ्य केन्द्र हिंगोनिया के लिए भवन निर्माण हेतु जिला कलक्टर, बारां द्वारा आदेश क्रमांक एफ.4(5)(206)राजस्व/11/1498–1507 दिनांक 29.02.2012 से आवंटित की गई हैं। उक्त आदेश न्यायिक आदेश न होकर प्रशासनिक आदेश है, जो अपील योग्य न होकर सक्षम न्यायालय में पुनरीक्षण योग्य होने से राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत हस्तगत अपील खारिज योग्य हैं। उभय पक्षकारान के तर्क के संबंध में आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया। जिला कलक्टर बारां द्वारा जेरअपील आदेश राजस्थान भू राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के अधीन पारित आदेश एक प्रशासनिक आदेश है जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं होकर केवल निगरानी प्रस्तुत की जा सकेगी। राज0 सरकार के गजट नोटिफिकेशन द्वारा इस संबंध में अधिकार माननीय राजस्व मण्डल को स्थानान्तरित कर दिये हैं। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर, बारां के आक्षेपित आदेश के विरूद्ध यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की है, जो उपर्युक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में पोषणीय नहीं हैं। राज0 भू राजस्व अधिनियम की प्रथम अनुसूची (धारा 23) "न्यायिक मामलों की सूची" के अनुसार आक्षेपित आदेश न्यायिक आदेश नहीं हैं। बल्कि गैर न्यायिक एक प्रशासनिक आदेश है जो पुनरीक्षण योग्य होने से पैरोकार सरकार का उक्त तर्क विधिसम्मत प्रकट होता हैं। उपर्युक्त विश्लेषण के संदर्भ में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से काबिल निरस्तनीय हैं। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती हैं।

7 निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(उर्मिला राजोरिया)
संभागीय आयुक्त
कोटा
संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा